सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-423/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 11 अक्टूबर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-देवगांव

24 घण्टे के अंदर दम्पत्ति की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.10.2020 को श्री अरविन्द मौर्या पुत्र स्व0 विश्वनाथ मौर्या निवासी विशुनपुर थाना चंदवक जौनपुर द्वारा सूचना दिया गया कि मेरी बहन मैना देवी व बहनोई श्रीनाथ उर्फ श्री खाना खाकर अलग-अलग चारपाई पर अपने घर गड़ौली थाना देवगाँव आजमगढ़ पर सो रहे थे कि अभियुक्त गोलू मौर्य पुत्र हरिकेश मौर्य निवासी गड़ौली थाना देवगाँव आजमगढ़ जो काफी क्रोधी व सनकी किस्म का है पत्थर से मारकर मेरी बहन मैना देवी व बहनोई श्रीनाथ उर्फ श्री की हत्या कर दिया। इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु 0अ0स0-229/2020 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिये गये थे । आदेश के अनपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के सतत पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.10.2020 को प्र0नि0 संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव मय हमराहियान द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार क्षेत्र में प्रयासरत थे कि मुखविर की सूचना मिली कि घटना में वांछित अभियुक्त गोलू उर्फ विशाल बुढउ बाबा से गड़ौली जाने वाली मार्ग पर जय गुरुदेव आश्रम के पहले सारगंपुर में स्थित पुलिया के पास गांगी नदी में अपना पैन्ट धूल रहा है इस सूचना पर प्र0नि0 मय हामराही के साथ कंजहित से तत्काल प्रस्थान कर सारंगपुर पुलिया के पास पहुचे तो देखे कि गांगी नदी में एक लड़का अपना पैन्ट धूल रहा है जिसको समय12.10 वजे गिरफ्तार किया गया । नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गोलू उर्फ विशाल मौर्य बताया अपने पिता का नाम हरिकेश मौर्य निवासी गड़ौली थाना देवगांव आजमगढ़ बताया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 09.10/10/2020 को अभियुक्त अपने गांव के श्रीनाथ मौर्य व उनकी पत्नी मैना देवी को पत्थर से मार कर दोनो की हत्या कर दिया है । जो उसको चिढाते थे और उसकी शादी कटवा देते थे और अभियुक्त ने बताया कि उस समय जो उसने पैन्ट पहना था वो यही पैन्ट है जिसे वह धूल रहा था तथा जिस पत्थर से उसने मारा वह पत्थर भी उसने बरामद कराया और बताया कि यह वही पत्थर है जिससे उसने श्रीनाथ मौर्य व उनकी पत्नी मैना देवी को मार दिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

विशाल मौर्या उर्फ गोलू पुत्र हरिकेश मौर्या निवासी गड़ौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 229/2020 धारा 302 भादवि थाना देवगाँव आजमगढ़

बरामदगी

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद पत्थर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

प्र0नि0 संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव मय हमराह जनपद आजमगढ़ ।

थाना- जीयनपुर

मन्दिर से भगवान हनुमान की प्रतिमा से चाँदी के मुकुट की चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.09.2020 को श्री पूरन सिंह पुत्र स्व0 रामहरख सिंह ग्राम सिकन्दरपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर ग्राम सिकन्दपुर मे हनुमान मन्दिर मे स्थित हनुमान प्रतिमा से चाँदी के मुकुट अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिये जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 273/2020 धारा 380 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 राजकुमार तिवारी थाना जीयनपुर आजमगढ़ प्रचलित था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एव क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 10.10.2020 को उ 0नि0 राजकुमार तिवारी थाना जीयनपुर मय हमराहियान द्वारा संदिग्ध अपराधी की तलाश करता हुआ ग्राम सिकन्दरपुर मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि हनुमान जी की मुर्ति से चोरी गये मुकुट की घटना मे जो अज्ञात चोर साधू जैसा लगता था परसो जनता के लोगो ने दौड़ाकर पकडना चाहा था किन्तु भाग निकला था आज कुछ समय पहले आँखेपुर उक्त T.V.S मोपेड से पुनः दिखाई दिया है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा तत्काल रवाना होकर आँखेपुर पहुँचकर तिराहे से उक्त व्यक्ति को समय 05.30 बजे शाम को गिरफ्तार किया गया। मौके पर तलाशी से मोटरसाइकिल की UP 54 L 5264 जिसका चेचिस नं0 MD621BP24L2F12230 की डिग्गी से एक सडसी व एक छिन्नी लोहे का लगभग एक फिट लम्बा तथा चादी जैसा सफेद धातु का मुकुट बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम फलहारी बाबा उर्फ रामआशीष यादव पुत्र बलेश्वर यादव निवासी धर्मपुर कुडिया थाना मधुबन जनपद मऊ बताया। चोरी की घटना उक्त पकड़े गये अभियुक्त ने उस दिन रात सटर का ताला काटकर किया था। अतः धारा 457 भा0द0वि0 एंव इसके कब्जे से चोरी किया गया चाँदी का मुकुट की आज बरामदगी हो जाने की दशा मे विवेचना से धारा 411 IPC की भी वृद्धि की जाती है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 273/2020धारा 457/380/411 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

फलहारी बाबा उर्फ रामआशीष यादव पुत्र बलेश्वर यादव निवासी धर्मपुर कुडिया थाना मधुबन जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 72/2010 धारा 294 IPC थाना मधूबन जनपद मऊ आरोप पत्र संख्या A- 27 दिनांक 12.02.2010
2. मु0अ0सं0 273/2020धारा 457/380/411 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1. चादी जैसा सफेद धातु का मुकुट वजन लगभग 270 ग्रा0

2.चोरी मे प्रयोग मोपेड T.V.S वाहनUP 54 L 5264 जिसका चेचिस नं0 MD621BP24L2F12230

3. एक सडसी व एक छिन्नी लोहे का लगभग एक फिट लम्बा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 राजकुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

2. का0 अभिषेक कुमार यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।